

प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 14.07.2024

कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ताल के नेतृत्व में उ0नि0 चन्दन सिंह मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 551/24 धारा 406/419/420/467/468/471/504/506/120बी भा0द0सं0 से सम्बन्धित अभियुक्त शम्भू यादव पुत्र स्व0 रामदुलारे निवासी गायघाट बुजुर्ग थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नाले की जमीन को करीब ग्यारह लाख छिहत्तर हजार रुपये में आवेदिका को बेचने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शम्भू यादव पुत्र स्व0 रामदुलारे निवासी गायघाट बुजुर्ग थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-551/2023 धारा- 406/419/420/467/468/471/504/506/120बी भा0द0सं0 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0- 645/15 धारा 419/420/467/468/471/504/506/120बी भा0द0सं0 थाना खोराबार गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 चन्दन सिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. का0 राहुल यादव थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
3. का0 मनोज चौधरी थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
4. का0 अमित गिरी थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर